

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, दिवांगु शर्मा, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या 06/2017 (वाद)
दायर दिनांक -09/01/2017
निर्णय दिनांक -02/03/2020

अनवान

1. शानुदेवी पति कैलाशचन्द्र जाति खटीक निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. लादुलाल पिता कालु जाति चमार निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. शोभालाल पिता कालु जाति चमार निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3. रामी विधवा कालु जाति चमार निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. मंजु पति गणेशलाल जाति खटीक निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादी

वाद बाबत् विभाजन

: निर्णय :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम रेलमगरा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 2786, 2787, 2788, 2793, 2789, 2790 रकबा 13-07 बीघा स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाना है:-

क्र.सं.	नम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	लादुलाल शोभालाल पिता कालु रामी पति स्व. कालू बैरवा सा. देह खातेदार	2786 2787 मीन 2788 मीन 2789 मीन 2790/2 2793 मीन	00-08 00-11 00-17 02-16 00-02 01-16	00-12 01-70 00-60 00-82 00-05 06-30
	योग:-	किता-06	06-10	09-59

W/L

2.	शानुदेवी पति कैलाश चन्द्र खटीक सा.देह. खातेदार	2787 / 1	00-06	00-97
		2788 / 1	00-02	00-06
		2790 / 1	01-06	04-40
		2793 / 1	01-16	05-79
	योग:-	किता-04	03-10	11-22
3.	मंजुदेवी पति गणेशलाल खटीक सा. देह. खातेदार	2789 / 1	00-02	00-05
		2790 मीन	02-18	06-70
	योग:-	किता-02	03-00	09-75
4.	लडू लाल शोभालाल पिता कालु रामी पति स्व. कालु 1/2 बैरवा शानुदेवी पति कैलाश चन्द्र खटीक सा.देह. खातेदार	2793 / 2	00-07	00-40
				00-05
	योग:-	किता -01	00-07	00-45

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनंरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02/03/2020 को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(दिवाशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :- दिवाशु शर्मा आर०२०२०२०

राजस्व वाद संख्या :- 06 / 2017

अनवान

- 1 शानुदेवी पति कैलाशचन्द्र जाति खटीक निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. लादुलाल पिता कालु जाति चमार निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. शोभालाल पिता कालु जाति चमार निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3. रामी विधवा कालु जाति चमार निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. मंजु पति गणेशलाल जाति खटीक निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

दावा :- वाद बाबत विभाजन

वादी की ओर से :- सी, एस,एस, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से :- -

में इस आशय मे दिनांक 02/03/2020 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि ग्राम रेलमगरा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 2786, 2787, 2788, 2793, 2789, 2790 रकबा 13-07 बीघा स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाना है:-

क्र.सं.	नम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	लादुलाल शोभालाल पिता कालु रामी पति स्व. कालू बैरवा सा. देह खातेदार	2786 2787 मीन 2788 मीन 2789 मीन 2790/2 2793 मीन	00-08 00-11 00-17 02-16 00-02 01-16	00-12 01-70 00-60 00-82 00-05 06-30
	योग:-	किता-06	06-10	09-59

५०२

2.	शानुदेवी पति कैलाश चन्द्र खटीक सा.देह. खातेदार	2787 / 1	00-06	00-97
		2788 / 1	00-02	00-06
		2790 / 1	01-06	04-40
		2793 / 1	01-16	05-79
	योग:-	किता-04	03-10	11-22
3.	मंजुदेवी पति गणेशलाल खटीक सा. देह. खातेदार	2789 / 1	00-02	00-05
		2790 मीन	02-18	06-70
	योग:-	किता-02	03-00	09-75
4.	लडू लाल शोभालाल पिता कालु रामी पति स्व. कालु 1/2 बैरवा शानुदेवी पति कैलाश चन्द्र खटीक सा.देह. खातेदार	2793 / 2	00-07	00-40
				00-05
	योग:-	किता -01	00-07	00-45

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 02/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा